

नकल प्राप्ति पर तर्जिब मुदा दिन्दी वादी

श्रीपा सेन्ट्रल बोर्ड आफ वकफत, 30/9/2016, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ Ph. 0522-2286-497, 3203108, Ref No. 605 Dated 04.02.2015 प्रेषक से जुलाम समुपदेन दिल्ली प्रबन्धनिक अधिकारी सेवा में, पुलिस अधीक्षक (वकफ) रामपुर। विषय :- वकफ हुसेनी सराए, रामपुर पर इस अवैध निर्माण के क्रम में प्राथमिकी दर्ज करने जाने के संबंध में। मद्देना श्रीपा सेन्ट्रल वकफ बोर्ड की तैयारी दिनांक 03-02-2015 में वकफ हुसेनी सराए परीक्षण संख्या 1-1546 रामपुर की वकफ स्थापति जोकि वाकिफ़ द्वारा मुसाफिरखाना। धर्मशाला बनाने जाने के वकफ की गयी थी, पर वकफ हुसेनी सराए के पूर्व मुतवल्ली थी नवाब काजिम अली खां द्वारा अवैध हुकमों का निर्माण करा लिया गया। इस संबंध में बोर्ड ने जांच किये जाने के निर्देश अपर सर्व आपुन वकफ/प्रशासिकारी रामपुर को दिये थे जिस पर प्राप्त जांच आख्या से यह प्रमाणित हुआ कि हुकमों के निर्माण के ऊपर हुकमों के निर्माण के पश्चात् वकफनामा के अनुसार मुसाफिरखाना (धर्मशाला) का निर्माण करायेंगे परन्तु स्थलीय जांच करने के बाद यह बात संज्ञान में आयी कि हुकमों के निर्माण के ऊपर मुसाफिरखाना के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इस हुकमों के लेआउट के अनुसार भूमिखल पर निर्मित हुकमों के ऊपर प्रथम इच्छा मुसाफिरखाना के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिलेखना नहीं की गयी है और स्वीडर मन्चित्र के लेआउट के अनुसार इतने बड़े प्थनसापिक निर्माण हेतु बाहन की पार्किंग, अग्निशमन के संबंध में व रेन वाटर इस्कीरिंग का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है अतः कि सहायक अधिपन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर की आख्या दिनांक 06-02-2012 शब्द है " तथा जांच आख्या में यह भी लिखा पाया गया कि " जांच के समय यही भी पाया गया कि श्री नवाब काजिम अली खां मुतवल्ली ने हुसेनी सराए की वकफ भूमि पर उक्त हुकमों का निर्माण प्राइवेट बिल्डर ( मासिपा कंसल्टेन्स कम्पनी ) द्वारा कराया गया, जबकि श्रीपा सेन्ट्रल बोर्ड आफ वकफ लखनऊ द्वारा मात्र मुतवल्ली को हुकमों का निर्माण करायें जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को प्राइवेट बिल्डर से अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी श्रीपा सेन्ट्रल बोर्ड आफ वकफ की अनुमति के अनुसार मुतवल्ली द्वारा स्वयं निर्माण न कराकर मासिपा कंसल्टेन्स कम्पनी से निर्माण करवाया जाना पाया जो श्रीपा वकफ बोर्ड से प्राप्त अनुमति के विपरीत है अतिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पाया गया कि प्रथम अनुबंध में हुसेनी सराए का प्लान का कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा श्रीपा वकफ बोर्ड को प्रेषित कर वकफ बोर्ड की आखे का स्वामी इति व भारी मुनाफा कमाने की निगाह से उल्लंघन किया गया है रामपुर स्टेट गवर्न दिनांक 26 अप्रैल 1942 जिल्द संख्या 55 के 'मवलोकन से यह स्पष्ट होना है कि नवाब रजा अली खां द्वारा एकरतु इयाम हुसेन के मुसाफिर खाने की पादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिर खाना हुसेनी सराए के नाम से कायम कियो जाना था जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आयेगे उनका इच्छे का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके किन्तु नवाब रजा अली खां (वाकिफ़) की मर्यादा एवं उद्देश्य के विपरीत अतः मुतवल्ली द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के धिक्कील से मासिपा कंसल्टेन्स का निर्माण कराया गया है और मासिपा कंसल्टेन्स की हुकमों का आवंटन मोदी कम्पन बिल्डर द्वारा प्राप्त कर मुतवल्ली की साठ-गांठ से प्राइवेट बिल्डर ने धर्मार्थ वकफ संपत्ति का अतिक्रमण किया है जो वकफ उल वकफ अधिनियम के विरुद्ध है पूर्व मुतवल्ली वकफ श्री नवाब काजिम अली खां पुत्र स्व० नवाब मुनिफकार अली खां निवासी - डूरमहल, रामपुर व मासिपा कंसल्टेन्स कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री नासिर अली खां पुत्र अखत अली खां निवासी - गजिद केरा रामपुर ने आपसी साठ-गांठ कर वकफ स्थापति से मोदी कम्पन प्राप्त कर उक्त-उक्त कदमी है इस संबंध में अचो एकाधरी को बोर्ड द्वारा विदेशित किया गया है कि प्रकृति की प्राथमिकी संबंधित धाना में दर्ज करण। अतः आपसे अनुरोध है कि श्री नवाब काजिम अली खां पुत्र स्व० नवाब मुनिफकार अली खां निवासी - डूरमहल रामपुर व मासिपा कंसल्टेन्स कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अखत अली खां निवासी - गजिद केरा रामपुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विपणानुसार कार्रवाई वकफ दित में करने की आशा करे। भवदीप अशास्त्रीय दिनांकित 04.2.2015 (से० जुलाम समुपदेन दिल्ली) प्रबन्धनिक अधिकारी लखनऊ जुलाम समुपदेन प्रबन्धनिक अधिकारी श्रीपा सेन्ट्रल बोर्ड आफ वकफत, 30/9/2016, मोन० 9839096116

नोट:- मैं ee 804 गौतम कुमार प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्ति वादी की नकल कि (संख्या) की पुस्तक पर शब्द व शब्द भंडित की गयी है। संलग्न प्रमाण मूल FIR है।  
06.2.15

# شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

## فرواحکام

جوکی غور अनियमितता है। प्राप्त जांच कमेटी की आख्या से यह भी प्रकाश में आया कि पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा बोर्ड को भ्रमित कर जो अनुमति प्राप्त की गयी थी उनके द्वारा किया गया अवैध माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से किये गये अनुबन्ध में वक्फ हुसैनी सरॉए बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा अपने निजी स्वार्थ में भारी मुनाफा कमाने की नीयत से बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कराया गया, जो वाकिफ की मन्शा के विपरीत भी है। जांच कमेटी की आख्या में भी उल्लिखित है तथा बोर्ड के अभिलेखों में भी मौजूद है कि रामपुर स्टेट गजट दिनांक 26 अप्रैल, 1942 जिल्द संख्या-55 में स्पष्ट लिखा है कि नवाब रजा अली खां द्वारा हजरत इमाम हुसैन के मसायब-ए-सफर की यादगार कायम रखने के लिए एक मुसाफिरखाना हुसैनी सरॉए के नाम से कायम किया जाये जिसका उद्देश्य यह था कि जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आये उनके ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके। परन्तु नवाब रजा अली खां (वाकिफ) की मन्शा एवं उद्देश्य के विपरीत पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने की दृष्टि से शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण करा दिया गया और शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकानों का आवंटन के संबंध में भारी रकम वसूल कर प्राईवेट विल्डर्स से सांठ-गांठ करके धर्मार्थ वक्फ सम्पत्ति का अस्तित्व समाप्त कर दिया जो वक्फनामा में दी गयी शरायतों के विरुद्ध है। पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा दिनांक 06-02-2011 को श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अनवर अली खां निदेशक, माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी, निवासी-मस्जिद कैथ, रामपुर से बिना बोर्ड की अनुमति अनुबन्ध किया कि हुसैनी सरॉए जिसका रकबा 06 हजार वर्ग गज है पर श्री नासिर अली खां द्वारा एक शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण मए मिटीरियल से करायेगे और शॉपिंग काम्पलेक्स तैयार होने पर जो दुकानें किराये पर उठायी जायेंगी उसकी वसूली श्री नासिर अली खां करेंगे और रकम स्वयं अपने पास रखेंगे। इस रकम का मुतवल्ली से कोई वास्ता न होगा और वक्फ में जमा नहीं होगी। इस अनुबन्ध में मुसाफिरखाना का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व मुतवल्ली द्वारा बोर्ड की शर्तों के विपरीत मौके पर कोई मुसाफिरखाना बनाये जाने का कोई इरादा नहीं था और वक्फ सम्पत्ति से होने वाली आय को उन्होंने निजी सम्पत्ति की तरह अनाधिकृत व्यक्ति श्री नासिर अली खां को हस्तांतरित कर दिया जोकि घोर वित्तीय अनियमितता है। वक्फ की पत्रावली का अवलोकन कर यह भी प्रकाश में आया कि वक्फ हुसैनी सरॉए, रामपुर के नवाब स्व0 रजा अली खां द्वारा सन् 1942 में यात्रियों को ठहरने हेतु सरॉए (धर्मशाला) के निर्माण के लिए वक्फ की थी। वक्फ के पूर्व मुतवल्ली श्री काजिम अली खां द्वारा बोर्ड को जो प्रस्ताव दिनांक 13-8-2009 देकर अनुरोध किया था कि बोर्ड अपने आदेश दिनांक 15-03-2002 के अन्तर्गत 68 दुकानों की अनुमति हुसैनी सरॉए को सम्पत्ति पर प्रदान कर चुका है उनके द्वारा बोर्ड के आदेश की छायाप्रति भी प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी थी। उक्त संलग्न बोर्ड का आदेश दिनांक 15-3-2002 जिसकी मूल प्रति बोर्ड की वक्फ की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वक्फ के पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब



-5-

# شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

## فرد احکام

निर्माण पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा अवैध रूप से माजिया कान्स्ट्रक्शन्स कम्पनी से अनुबन्ध कर कराया गया था उसे तत्काल ध्वस्त कराया जाये। इस संबंध में बोर्ड जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर को निर्देशित करता है कि वक्फ हुसैनी सराए पर किये गये अवैध दुकानों के निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के साधन उपलब्ध कराते हए ध्वस्त करा दें। उक्त निर्माण के ध्वस्तीकरण में जो भी खर्च आयेगा उसकी वसूली पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां से करायी जाये तथा प्रशासनिक अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर अवैध निर्माण करा कर माजिया कान्स्ट्रक्शन्स कम्पनी से वक्फ सम्पत्ति के बदले में अपने निजी स्वार्थ हेतु जो रकम वसूल करके खुर्द-बुर्द कर ली है, के संबंध में आई०पी०सी० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, रामपुर को पत्र जारी करें।

बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत सँ उपरोक्त लिया गया निर्णय बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोर्ड के मा० अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Number 35

35

Waqar

(सं० महीन दिवस)

वक्फ


बिदा वे-डन वक्फ बोर्ड २-४

35/07/25


# شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش فرواد احکام

بورڈ کی बैठک दिनांक 03-02-2015 को बैठक में उपस्थित मा० सदस्यों के समक्ष बोर्ड के मा० अध्यक्ष की अनुमति से वकफ हुसैनी सराँए, पंजीयन संख्या: 1-1546, जनपद-रामपुर में पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काजिम अली खां द्वारा अवैध तरीके से माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से अनुबन्ध किये जाने संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिस पर विचार-विमर्श के उपरान्त बैठक में मौजूद मा० सदस्यों की बहुमत से यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड द्वारा वकफ हुसैनी सराँए, 1-1546, रामपुर पर अवैध कब्जे के संबंध में किया गया आदेश दिनांक 20-01-2015 के क्रम में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच के उपरान्त प्रस्तुत की गयी आख्या का अवलोकन किया गया। वकफ हुसैनी सराँए शिया सेण्ट्रल वकफ बोर्ड में वाकिफ द्वारा हुसैनी सराँए बनाये जाने की नीयत से वकफ की गयी है। उक्त वकफ सम्पत्ति पर बनी कुछ अवैध दुकानें जिसका प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन था। बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 20-01-2015 में उक्त प्रकरण में निर्णय लेते हुए प्रश्नगत अवैध दुकानों को ध्वस्त किये जाने का निर्णय लिया था जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर द्वारा वकफ सम्पत्ति पर वाकिफ की मन्शा के विपरीत वकफ सम्पत्ति पर बनी उक्त अवैध दुकानों को ध्वस्त करा दिया गया है, परन्तु जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार वकफ सम्पत्ति पर वर्तमान में अन्य कई अवैध कब्जा मौजूद है, वह भी वाकिफ की मन्शा के विपरीत हैं। बोर्ड वकफ हुसैनी सराँए, 1-1546, रामपुर में कुल वकफ सम्पत्ति पर समस्त अवैध निर्माण को हटाये जाने का निर्णय लेते हुए जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर को निर्देशित करता है कि वह वकफ की सम्पत्ति की पैमाइश वकफ के अभिलेखों व नक्शा के अनुसार करा कर वकफ सम्पत्ति पर जो भी अवैध निर्माण पाया जाये उन्हें नियमानुसार तत्काल ध्वस्त कराये व ध्वस्तीकरण में जो भी खर्च जाये उसका भुगतान भी अवैध कब्जेदार से वसूल किया जाये।


बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से उपरोक्त लिया गया निर्णय बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोर्ड के मा० अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराये।











(से० दहीम रिजवा)

अध्यक्ष

शिया सेण्ट्रल वकफ बोर्ड, उ० प्र०

# شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

## فرواحکام

آदेश

وقف हुसैनी सराए पंजीयन संख्या: 1-1546 रामपुर की भूमि जोकि हुसैनी सराए/धर्मशाला बनाये जाने के लिए वाकिफ द्वारा वक्फ की गयी थी, पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 01-4-2012 के अन्तर्गत प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में अपर सर्व आयुक्त वक्फ/जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा पत्रांक-12/वक्फ नं0 1-1546/हु0स10-जांच-12 दिनांक अप्रैल 09, 2012 बोर्ड को प्राप्त करायी गयी जोकि वक्फ की पत्रावली पर मौजूद है। बोर्ड की बैठक दिनांक 03-02-2015 में बोर्ड के समक्ष उक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी जिसका अवलोकन किया गया। जांच आख्या की शर्त संख्या-6 में लिखा है कि "दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फनामा के अनुसार मुसाफिरखाना (धर्मशाला) का निर्माण करायेंगे परन्तु स्थलीय जांच करने के बाद यह बात संज्ञान में आयी कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिरखाना के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। उक्त दुकानों के लेआउट के अनुसार भूमितल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम दृष्टया मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के लेआउट के अनुसार इतने बड़े व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्निशमन के संबंध में व रेन वाटर हारवेस्टिंग का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जैसा कि सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर की आख्या दिनांक 06-02-2012 स्पष्ट है" तथा जांच आख्या में यह भी लिखा पाया गया कि "जांच के समय यह भी पाया गया कि श्री नवाब काजिम अली खां, मुतवल्ली ने हुसैनी सराए की वक्फ भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण प्राइवेट बिल्डर (माजिया कंसल्टेशन कम्पनी) द्वारा कराया गया, जबकि शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, लखनऊ द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात निर्माण कराये जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को प्राइवेट बिल्डर से अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ की अनुमति के अनुसार मुतवल्ली द्वारा स्वयं निर्माण न करा कर माजिया कंसल्टेशन कम्पनी से निर्माण कराया जाना पाया, जो शिया वक्फ बोर्ड से प्राप्त अनुमति के विपरीत है। अभिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत अनुबन्ध में हुसैनी सराए बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा शिया वक्फ बोर्ड को भ्रमित कर वक्फ बोर्ड की शर्तों का स्वार्थ पूर्ति व भारी मुनाफा कमाने की नियत से उल्लंघन किया गया है।

रामपुर स्टेट गजट दिनांक 26 अप्रैल 1942 जिल्द संख्या 55 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नवाब रजा अली खां द्वारा हजरत इमाम हुसैन के मसाइबे सफर की यादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिर खाना हुसैनी सराए के नाम से कायम किया जाना था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आयेंगे उनको ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके, किन्तु नवाब रजा अली खां (वाकिफ) की मन्शा एवं उद्देश्य के विपरीत संबंधित मुतवल्ली द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से शार्पिंग काम्पलैक्स का निर्माण कराया गया है और शार्पिंग काम्पलैक्स की दुकानों का आवंटन मोटी रकम बिल्डर द्वारा प्राप्त कर मुतवल्ली की

# شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

## فرد احکام

ساٹ-گاٹ سے پرائیوٹ بیلڈر نے धर्मार्थ वक्फ संपत्ति का अस्तित्व समाप्त किया है, जो वक्फडीड एवं वक्फ अधिनियम के विरुद्ध है। जांचोपरान्त प्रकरण में उपरोक्त जो अनियमितताएं पायी गयी हैं वे अति-गम्भीर हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वक्फ के पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अनवर अली खां, निवासी: मरिजद कैथ, रामपुर से साट-गाट कर मोटी रकम प्राप्त कर खुर्द-बुर्द की है जोकि अपराध की श्रेणी में आता है। बोर्ड इस प्रकरण में यह निर्णय लेता है कि वक्फ की सुरक्षा के हित में पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काजिम अली खां पुत्र नवाब जुल्फिकार अली खां, निवासी-नूर महल, रामपुर एवं श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अनवर अली खां, निवासी: मरिजद कैथ, रामपुर के विरुद्ध संबंधित थाना रामपुर में मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाये। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधीक्षक, रामपुर को बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु पत्र निर्गत करें।

Wasan

(सं० हसीम रिज्वा)

ब-प-ए  
शिवा सं-दु-व वक्फ बोर्ड: 3-3-

शुक्रवार 8/11/20 एत 409/420 ire

मूल द्वितीय पृथीय प्रतिनिधि

भाषांतर घटी/कायालय के लिए

पृक सं०

पृष्ठ संख्या

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

एक लिखित-संभव की एत 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से प्रथम सूचना की प्रथम सूचना

शाना

सब-डिविजन

जिला

संख्या

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई

47/15

मामूर

मामूर

120/1

प्रथम सूचना का समय

310/10

310/10

06.2.15

18.40

विज्ञान प्रबन्धन के लिए प्रेषित प्रतियाँ

पिशा - प्रथम

500 प्रतियाँ

50 - प्रतियाँ

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई

प्रथम सूचना का समय

310/10

310/10

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

नोट- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चित्र लेना चाहिए और इसकी प्रति भवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होने चाहिए।

सूचना देने वाले या घटी का नाम व निवास-स्थान	अभिजित का नाम व निवास-स्थान	घाटा सहित अपराध व ले जाती गयी सामान (वर्ड कोर्ड से) का ब्योचित्र विवरण	वहकीकार के संभवता से जो कार्रवाही की गयी तथा सूचना के रत्न करने से देरी होने का कारण
---	-----------------------------	--	--

1

श्री श्री. सुभाष सम्पूर्ण रिजनी प्रशासनिक अधिकारी जिला मीडल बोर्ड आफ वक-फुल 30 प्र० अन्वय प्र. मो.न० 9829096116

1) श्री सुतबली वक, नवाव कब्जिन अली खा 510 टब-नवाव बुलिकर अली खा 510 सुतबली खा

2) नाथिर अली खां 510 अन्वय अली खां 510 अजिद, सैयद बामपुर प्रोप्राइटर मारिया कसब इतबा-11 कसबी

अभिजित का ड्रा वकड बोर्ड की समीप पर 'कैला पुजारी का निर्माण करण' नामा अर्द्धेय लेख कमाना।

सूचना देने वाले के अतिरिक्त सूचना प्रार्थना कर साबिल के माध्यम पर लक्ष्मीश्री सुतबली कायम व कर्ष किए गए। लक्ष्मीश्री सि.सी. लक्ष्मीर सिंह कर्षी।

नोट- सूचना देने वाले को हस्ताक्षर या निजानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्तर्ग में लगायत होना चाहिए।

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन



पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

0256001